रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220294
CG-DL-E-01072020-220294

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1907] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942
No. 1907] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.आ. 2153 (अ).—17.08.2006 को अधिसूचित और 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कृत्य नियम, 2006 (इसके पश्चात् जो उक्त नियम कहलाए) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा श्री बालामुरूगन सी., वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/रोलिंग स्टॉक, कोच्चि मैट्रो रेल लि. (केएमआरएल) को कोच्चि मैट्रो रेल परियोजना के लिए, इस अधिसूचना की तारीख से केएमआरएल में उनके कार्यकाल के अंत तक अथवा अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हताओं और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सरकारी वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कोच्चि मैट्रो रेल परियोजना के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन सभी वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा कोच्चि मैट्रो रेल परियोजना के नियंत्रणाधीन अथवा कोच्चि मैट्रो रेल परियोजना से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित करना होगा कि श्री बालामुरूगन सी., वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/रोलिंग स्टॉक, केएमआरएल किसी भी वैद्युत कार्य अथवा अधिष्ठापन, जिसका निष्पादन अथवा रख-रखाव करना उनका दायित्व है, के संबंध में वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा.सं.-42/5/2016-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

S.O.2153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints Sh. Balamurugan. C, Senior Deputy General Manager/Rolling Stock, Kochi Metro Rail Ltd. (KMRL) as Electrical Inspector to Government for Kochi Metro Rail Project, from the date of this notification till the end of his tenure in KMRL or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the qualifications and conditions as mentioned in the said Rules.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by Kochi Metro Rail Project or in respect of works and electrical installations under the control of Kochi Metro Rail Project or belonging to Kochi Metro Rail Project, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that Sh. Balamurugan. C, Senior Deputy General Manager/Rolling Stock, KMRL does not function as the Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is his responsibility.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall have to be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2016-R&R]

GHANSHYAM PRASAD Jt. Secy. (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date 2020.07.01 20:26:42 +05:30